तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-02-21	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि 03.03.21 को पेश हो।	

03 03 2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र माला है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम पप्पु पुत्र माला दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गैस कनेक्शन पासबुक की प्रति व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र माला अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र माला है की पुष्टि गैस कनेक्शन पासबुक की प्रति व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्ढोली तह. नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 839, 841 कुल किता 2 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में <u>पप्पु पुत्र माला</u> के स्थान पर <u>रमेश कुमार पुत्र माला</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2024.03.29 17:52:57 IST
Reason: SelfAttested